DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, GOVT. OF RAJASTHAN

Centre for Electronic Governance, Jaipur

अभ्यर्थी द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ से संबंधित स्पोर्ट्स पॉलिसी :-

सारणी क्रमांक 1

श्रेणी	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	I. भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व	सर्वोच्च प्राथमिकता प्रत्येक पाठ्यक्रम की अधिकतम 5 प्रतिशत सीटों तक एवं उसके पश्चात सारणी क्रमांक 1 की श्रेणी "ब" का लाभ देय होगा।
	II. अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में भारतीय विश्वविद्यालय संघ का प्रतिनिधित्व	
	III. भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलम्पिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रस्तरीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला विजेता/उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर।	
	IV. अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता / उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	
	V. विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता (एस.जी. एफ.आई) में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर	
	VI. सीबीएसई राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से दलीय खेलों में विजेता / उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेलों में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर।	
ब	I. पश्चिम क्षेत्रीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता / उपविजेता दल का सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में I/II/III	अधिकतम अंको का 7 प्रतिशत / परसेन्टाईल
	II. राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालयीय खेल प्रतियोगिता (दलीय / एकल) में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान / पदक प्राप्त करने पर	
	III. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) / नवोदय विद्यालय संगठन (एनवीएस) / आईपीएस / विद्या भारती / सैनिक स्कूल (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में दलीय खेल हेतु विजेता/उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेलों में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	
	IV. सीबीएसई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में (दलीय / एकल) प्रतिनिधित्व (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से)	

श्रेणी	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
स	I. भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलम्पिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने पर	अधिकतम अंको का 5 प्रतिशत / परसेन्टाईल
	II. अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में राजस्थान में अवस्थित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर	
	III. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) / नवोदय विद्यालय संगठन (एनवीएस) / आईपीएस / विद्या भारती / सैनिक स्कूल (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) संगठन के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व	
	IV. सीबीएसई की क्लस्टर / जोन स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने पर (दलीय खेल हेतु विजेता / उपविजेता तथा एकल खेलों हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर)	
	V. प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अन्तर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खेलों में पदक प्राप्त करने पर (दलीय खेल हेतु विजेता / उपविजेता तथा एकल खेलों हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर)	
द	I. राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता (दलीय / एकल) में विजेता/उपविजेता का स्थान प्राप्त करने पर	अधिकतम अंको का 4 प्रतिशत / परसेन्टाईल
	II. राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व / जिला स्तरीय प्रतियोगिता (दलीय / एकल) में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	
	III. विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	
	IV. अखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	
	V. केन्द्रीय विद्यालय संगठन / नवोदय विद्यालय संगठन / विद्या भारती संगठन / आई.पी.एस. संगठन (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) के रीजनल / क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	
य	I. राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले को प्रतिनिधित्व करने पर	अधिकतम अंको का 2 प्रतिशत / परसेन्टाईल
	II. विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर	
	III. राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर	
	IV. अखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने पर	
	V. सी.बी.एस.ई / केन्द्रीय विद्यालय संगठन / नवोदय विद्यालय संगठन / आई.पी.एस. संगठन / विद्या भारती संगठन (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) के रीजनल / क्लस्टर / जोन / रीजनल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर।	
	VI. प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अन्तर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खेलों में भाग लेने पर।	

अंक लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव मे उचित लाभ देय नहीं होगा।

सारणी क्रमांक 2

क्र.स.	स्तर	जिनका प्रमाण-पत्र मान्य होगा
1.	सारणी क्रमांक 1 के अ (I) से (VI)	भारत सरकार के खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, अखिल विश्वविद्यालय संघ, एस.जी.एफ.आई, सी.बी.एस.ई संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी / आयोजन सचिव
2.	सारणी क्रमांक 1 के ब का (I) से (IV) एवं स का (I) से (V)	विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, सी.बी.एस.ई संगठन, आई.पी.एस. संगठन, विद्या भारती संगठन, सैनिक स्कूल संगठन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी / आयोजन सचिव, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर द्वारा गठित आयोजन समिति के अध्यक्ष / आयोजन सचिव।
3.	सारणी क्रमांक 1 के द का (I) से (V) एवं य का (I) से (VI)	राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ के पदाधिकारी, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक / शिक्षा विभाग के उपनिदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी / उपजिला शिक्षा अधिकारी / आयोजन सचिव / आयोजक संस्था के प्राचार्य, सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य तथा प्रभारी द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर द्वारा गठित आयोजन समिति के अध्यक्ष / आयोजन सचिव ।

ⓘ नोटः-

1. उपरोक्त सारणी क्रमांक 1 के अन्तर्गत श्रेणी 'अ' एवं 'ब' के अतिरिक्त जारी प्रमाण पत्र विगत 3 शैक्षणिक वर्षों से अधिक पुराने मान्य नहीं होगें।
2. उपरोक्त स्पोर्ट्स पॉलिसी का लाभ अभ्यर्थी को न्यून्तम योग्यता (प्रतिशत / परसेन्टाईल) अर्जित करने के पश्चात् ही देय होगा।

उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मान्य होंगे:-

सारणी क्रमांक 3

1. एथलेटिक्स, क्रॉस कन्ट्री दौड़
2. जलीय खेल, स्वीमिंग, डाइविंग एवं वाटर पोलो
3. बैडमिन्टन
4. बास्केटबॉल
5. शतरंज
6. क्रिकेट
7. साइकिलिंग
8. फुटबॉल
9. हॉकी
10. कबड्डी
11. खो-खो
12. टेबल टेनिस
13. टेनिस
14. वॉलीबॉल
15. हैंडबॉल
16. कुश्ती
17. भारोत्तोलन एवं शरीर सौष्ठव
18. जूडो

19.	मुक्केबाजी	27.	रग्बी
20.	मिनी गोल्फ	28.	स्क्वैश
21.	तीरन्दाजी	29.	ताइक्वांडो
22.	निशानेबाजी, एयर राइफल, एयर पिस्टल	30.	वुशू
23.	सॉफ्टबॉल	31.	योग एवं मल्लखंब
24.	अमेरिकन फुटबॉल	32.	पावर लिफ्टिंग
25.	नेट बॉल	33.	ब्रिज
26.	रोलबॉल	34.	जिमनास्टिक

विशेष टिप्पणीः

1. सारणी क्रमांक 1 में उल्लेखित श्रेणी 'अ' के बिन्दु संख्या I एवं II के अतिरिक्त उपरोक्त देय लाभ राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय / महाविद्यालय / राज्य विश्वविद्यालय से प्रतिनिधित्व की स्थिति में ही देय होगा।
2. अभ्यर्थी को न्यूनतम अर्हता योग्यता में कोई छूट देय नहीं होगी।
3. श्रेणी 'अ' की स्थिति में :-
   - 3.1 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी इंटेक सीट्स में से ही अभ्यर्थी को नियमानुसार सीट आवंटित की जावेगी।
   - 3.2 अभ्यर्थी को क्षैतिज आरक्षण पद्यति के अनुसार आवंटन किया जावेगा।